न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 218/14 निर्णय दिनांक :– 23-12-15

उनवान

1. गोपाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी जयलालपुरा उर्फ थूनी, तहसील चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान।

––वादी

बनाम

1. धनपत पुत्र जगन्नाथ जाति मीना, निवासी– थूणी जयलालपुरा हाल निवासी अर्जुन किराना स्टोर तीन मूर्ति सर्किल पेट्रॉल पम्प के पास गोविन्द मार्ग जयपुर।
2. मूल्या पुत्र जगन्नाथ जाति मीना, निवासी – थूनी जयलालपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर, राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।.
4. उप पंजीयक चाकसू, जिला जयपुर राजस्थान।

––प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

<u>वाद घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा अधीन धारा 88 व 188</u>

<u>राजस्थान टेनेन्सी एक्ट</u>

प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश किया कि कि आराजी खसरा नंबर 28, 37 लगायत 40, 42 लगायत 53, 66 लगायत 73, 27 कुल किता 26 कुल रकबा 12.00 है0 वाके ग्राम उर्फ थूनी तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित है। जिसके 1/2 हिस्से की आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ने फर्जकारी कर इन्द्राज करवा. रखा है। वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 3 रकबा 47 बीघा 9 बिस्वा रहे जिसकी खातेदारी रामनाराय, भागीरथ, सोन्या, महादेव है छोटा व ग्यारसा पुत्रान जगन्नाथ जाति जाट, निवासी– जयलालपुरा उर्फ थूनी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही तथा वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार व हक अधिकारी रामनारायण, भागीरथ, सोन्या, महादेव, छोटा व ग्यारसा ने उक्त खसरा नंबर 3 रकबा 47 बीघा 09 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा का बेचान वादी व प्रतिवादी सं, 2 तथा वादी व प्रतिवादी सं. 2 के भाई मांग्या को दिनांक 26.12.1967 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा संभला दिया। विक्रय पत्र की दिशा में नामान्तकरण सं. 11 भरा जाकर तस्दीक किया गा दिनांक 26.12.1967 से वादी एवं प्रतिवादी सं. व पूर्व खातेदार मांग्या उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त काश्त रहे तथा मांग्या की की मृत्युपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर बिना किसी बाधा व हस्तक्षेप के निरन्तर काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार व वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के भाई मांग्या का जीवन के [illegible] तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ने

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अपने भाई मांग्या की संपूर्ण सेवा सुश्रुषा एवं दवा दारू इत्यादि व्यवस्था की। वादी प्रतिवादी सं. 2 की सेवा सुश्रुषा एवं दवा दारू से अत्यधिक प्रसन्न होकर उसने दिनांक 30.42.993 को रूबरू गवाहान नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक प्रथम व अन्तिम वसीयत वादी व. सं. 2 के पक्ष में निष्पादित की। तब से ही वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 संपूर्ण 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। प्रतिवादी सं. 1 बेहद चालाक व होशियार व्यक्ति है, जिसकी नीयत हमेशा से. ही वादी की संपत्ति हडपने की रही. तथा प्रतिवादी सं. 1 ग्राम पंचायत काठावाला से साजिश कर बिना वादी को सूचना शहादत का अवसर दिये विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तकरण सं. 4 दिनांक 03.12.1997 को कराया जो कि वादी के अधिकारोरू के मुकाबले प्रारम्भ से शुन्य व निष्प्रभावी है। नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 03.12.1997 की जानकारी होते ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त विवादित नामान्तकरण को चेलेन्ज किया तथा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू ने अपनील मयाद बाहर मानते हुये खारिज कर दिया जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। तथाकथित फर्जी व विधिविरूद्ध नामान्तकरण तस्दीक कराये जाने के पश्चात प्रतिवादी सं. 1 ने दावा अनुवानी धनपत बनामगोपाल वगैरह माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा उक्त बाद में प्रतिवादीगण ने अपने बचाव में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत. किया परन्तु सहवन से धनपत के वाद के साथ वादी का वाद भी खारिज हो गया इसलिये दावा प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ। वादी द्वारा नामान्तकरण सं. 1 की अपील/निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार द्वारा प्रथम व अन्तिम वसीयत है। वादी उक्त वसीयत के आधार पर खातेदार काश्तकर घोषित होने योग्य है

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

चूंकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अन्तिम वसीयत मान्य है। इसलिये वादी को वाद लाने का अधिकार शेष है। दोराने अपील/निगरानी चलते एवं कूटरचित व साजिशपूर्ण नामान्तकरण के आंधार हुये नामान्तकरण एवं राजस्व इन्द्राज के आधार पर उक्त कृषि भूमि को बैचान करने पर है जिसका कोई अधिकार हासिल नहीं है। प्रतिवादी सं. 2 काफी दिनो दिनो से उक्त कृषि भूमि का हस्तान्तरण करने पर आमादा है दिनांक 01.06.2014 को प्रतिवादी सं. 1 दीगर व्यक्तियो को लेकर वादग्रस्त आराजी पर आया तथा भूमि दिखाने लगा। वादी ने मना किया तो ऐलानिया धमकी दी कि तुम मुझे कब्जा नहीं करने दोगे। इसलिये उक्त भूमि का बेचान कर अन्यत्र भूमि क्रय करूगा तथा क्रेता लाठी जोर पर तुमसे कब्जा ले लेगा। वादी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह अपने निहित खातेदारी अधिकारों की घोषणा करावे तथा प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी व मजाहमत न तो स्वंय करे, ना ही अन्य किसी से करावे तथा ना ही वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण दीगर व्यक्तियों को करे। वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व मांग्या की क्रय की गई संपत्ति है जिसका जरिये वसीयत दिनांक 30.12.1993 से कानूनन अधिकार हासिल है। दायरी दावे के लिये वाद कारण दिनांक 01.06.2014 को हुआ तथा वाद हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी सं. 2 वादी के साथ दावा प्रस्तुत नहीं करना इसलिये प्रतिवादी बनाया गया है। प्रतिवादी सं, 3 भूमिधारी है जो आवश्यक फरीक मुकदमा है इसलिये पक्षकार बनाया गया है व प्रतिवादी सं. 4 उपंपजीयक है जो लोक सेवक है। प्रतिवादी सं. 3 व 4 से कोई अनुतोष नहीं चाहा है इसलिये जेरे दफा 80 जा.दी. दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद हाजा की

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

सुनवाई व निस्तारण का अधिकार अदालत हाजा को प्राप्त है। बाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आराजी वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित हिस्से के 1/2 आराजी से प्रतिवादी सं. 1 का नाम लोजित कर वादी एवं प्रतिवादी को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में कराया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द किया जावे वह भूमि वादग्रस्त से संबंधित अधिकारो के साथ छेडछाड नही करे ना ही अन्यत्र खुर्द बुर्द करे। दावा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी तो प्रतिवादी संख्या बावजूद तामील सूचना के हाजीर नही आया व प्रतिवादी संख्या एकी तरफ से वकील हाजीर आया जिसकी तरफ से दावे का जवाब दावा निम्नानुसार पेश किया गया। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से जवाब दावा निम्नानुसार पेश किया कि वाद पत्र का मद नं. 1 जिस तरह लिखा गया है गलत है स्वीकार नही है इस मद में वर्णित आराजी में हिस्सा 1/2 मिन प्रतिवादी नं. 1 के नाम पूर्णतया कानूनी तरीके से लगाई गई है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जरिये नामान्तकरण लगाई गई है। जिसकी सम्पूर्ण जानकारी वादी व प्रतिवादी नं. 2 को भली भॉति रही है। वादी का दावा पूर्णतया मिथ्या तथ्यो पर आधारित है। वाद पत्र का मद नं. 2 स्वीकार है। 3. वाद पत्र का मद नं. 3 जिस तरह लिखा गया है गलत है स्वीकार नही है स्व. मांग्या जी अपने जीवनकाल में अपने हिस्से पर काबिज रहे किन्तु अपने जीवनकाल में भी वो मिन प्रतिवादी नं. 1 के साथ ही रहते थे । मिन प्रतिवादी नं. 1 ने ही स्व. मांग्या की देखभाल , सेवा , सुश्रा की थी। साथ ही मिन प्रतिवादी नं. 1 वादग्रस्त भूमि पर भी मांग्या के जीवनकाल से ही मांग्या की सहमति से. ही मांग्या के साथ काबिज काश्त था ।

उपखण्ड अधिकारी
धाकसू (जयपुर)

स्व. मांग्या ने अपने जीवन काल में ही गवाहो के समक्ष एक वसीयत दिनांक 10/01/1986 को अपनी माता गोविन्दी देवी के समक्ष अपने सगे भाई मिन प्रतिवादी नं. 1 के हक में कर दी थी। इस प्रकार मांग्या जी मृत्यु के उपरान्त उनके हिस्से की भूमि पर मिन प्रतिवादी नं. 1 तन्हा रुप से काबिज काश्त चला आ रहा है जो बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। वाद पत्र का मद नं. 1 पूर्णतया गलत है स्वीकार नही है मांग्या जी अपने जीवन काल में ही मिन प्रतिवादी नं. 1 के साथ रहते थे वादी व प्रतिवादी नं. 2 के साथ मांग्या जी कभी भी नहीं रहे ना ही वादी व प्रतिवादी नं. 2 ने कभी उनकी सेवा की। स्व. श्री मांग्या जी ने अपने जीवन काल में ही दिनांक 10.01.1986 को एक वसीयत मिन प्रतिवादी नं. 1 के नाम कर दी थी। वादी द्वारा इस मद में जो वसीयत दिनांक 31.12.1993 की बताई जा रही है वह पूर्णतया मिथ्या व फर्जी है क्योकि ना तो मांग्या जी वादी व प्रतिवादी नं. 2 के साथ रहे ना ही कभी उनकी इच्छा इनके नाम वसीयत करने की थी। दिनांक 30.12.1993 की कथित फर्जी वसीयत का स्टाम्प स्टाम्प वेण्डर के हाथ से कभी भी जारी नहीं हुआ जो गवाह बताये है वह दोनो भी वादी के निकट के रिश्तेदार है। ऐसे में उपरोक्त वसीयत अपने आप ही फर्जी सिद्ध हो जाती है इसके अलावा उक्त वसीयत अभी अनुसंधान के दायरे में है इस कारण उक्त कथित वसीयत किसी भी तरह से प्रभावी नही है। वाद पत्र का मद नं. 5 जिस तरह लिखा गया है गलत है स्वीकार नही है ग्राम पंचायत काठावाला ने नामान्तंकरण संख्या 4 दिनांक 03.12.1997 पूर्णतया विधि अनुसार व मज्मेआम में खोला है जो सम्पूर्ण जानकारी कर खोला गया है जिसकी जानकारी वादी व प्रतिवादी नं. 2 को भली भाति प्रकार से रही है। उक्त नामान्तकरण संख्या 4 के खिलाफ वादी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के यहॉ अपील की थी जो अपील खारीज हो चुकी है जो निर्णय आज तक भी परिवर्तित नही हुआ है। वाद पत्र का मद नं. 6 जिस तरह लिखा गया है गलत है स्वीकार नहीं. है माननीय उपखण्ड अधिकारी चाकसू ने वादी की अपील खारीज की थी जिसके खिलाफ वादी न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त में गया था जहाँ से भी वादी विज अपील खारीज हो चुकी है। ऐसे में उक्त निर्णय अभी तक अतिम है तथा मिन प्रतिवादी नं. 1 के हक में खुला हुआ नामान्तकरण आज तक भी विधिमान्य है। वाद पत्र का मद नं. 7 जिस तरह लिखा गया है गलत है स्वीकार नहीं है मिन प्रतिवादी नं. 1 का दावा पुनः रेस्टोर हो चुका है ऐसे में वादी का जो भी काउन्टर क्लेम था वो भी रेस्टोर हो चुका होगा। ऐसे में जब एक दावा पहले से ही समान न्यायालय में चंल रहा है तो दूसरा दावा कानूनन धारा 10 सीपीसी के तहत चलने योग्य नही है। वाद पत्र का मद नं. 8 गलत है स्वीकार नहीं है जब एक बार नामान्तकरण मिन प्रतिवादी नं. 1 के नाम सक्षम अधिकारी द्वारा खोला जा चुका है तो वह जब तक निरस्त नही होता है तब तक वादी किसी भी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इसके अलावा वादी द्वारा बताई गई कथित वसीयत पूर्णतया फर्जी है ऐसे में फर्जी वतीयत के आधार पर वादी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वाद पत्र का मद नं. 9 गलत है स्वीकार नही है नामान्तकरण पूर्णतया विधिसंवत व सक्षम अधिकारी द्वारा खोला गया है जिसके आधार पर मिन प्रतिवादी कं. 1 को सम्पूर्ण कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। वाद पत्र का मद नं. 10 गलत है स्वीकार नही है दिनांक 01.06.2014 या किसी भी अन्य दिनांक को वादी को कोई घटना घटित नही हुई है ना ही ऐसा संभव था क्योकि मौके पर मिन प्रतिवादी नं. 1 का कब्जा काश्त स्व.

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

श्री मांग्या जी के जीवन काल से ही चला आ रहा है। वाद पत्र का मद नं. 11 गलत है स्वीकार नही है वादी किसी भी प्रकार की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वाद पत्र का मद नं. 12 जिस तरह लिखा गया है गलत है स्वीकार नही है कथित वसीयत दिनांक 30.12.1993 पूर्णतया फर्जी व बनावटी है जिसके आधार पर वादी न्यायालय श्रीमान से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वाद पत्र का मद नं. 13 गलत है स्वीकार नही है दिनांक 01.06.2014या किसी भी अन्य दिनांक को वादी को कोई भी वादकारण उत्पन्न नही हुआ है क्योकि इस दिनांक के पूर्व से ही वादी विभिन्न न्यायालय में मिनः प्रतिवादी नं. से मुकदमें लड रहा. है। इस कारण उक्त तारीख केवल दावा पेश करने मात्र के लिये लिखी गई है जिसका सच्चाई से कोई सम्बंध नही है। वाद पत्र का मद नं. 14 जिस तरह लिखा गया है गलत है स्वीकार नहीं है वह इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि प्रतिवादी नं. 2 जानता था कि वादी का दावा मिथ्या व फर्जी है इसी कारण उसने वादी के साथ दावा लडने से इंकार कर दिया। प्रतिवादी नं. 3 व 4 को बिना वजह पक्षकर बनाया गया है इस कारण दावा अनावश्यक पक्षकार होने के कारण भी खारीज होने योग्य है। वाद पत्र का मद नं. 15 कानूनी है जवाब आवश्यक नही है। वाद पत्र का मद नं. 16 कानूनी है जवाब आवश्यक नही है। वाद पत्र का मद नं. 17 कानूनी है जवाब आवश्यक नही है। वाद पत्र का मद नं. 18 गलत है स्वीकार नही है इस मद के उपमद क, ख, ग, घ में चाहे गये अनुतोष वादीया प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अत जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जवाब दावा पेश होने पर दावा जवाब दावा के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी

1. आया स्व0 मांग्या ने दिनांक 30.12.1993 को वादी व प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम वसीयत की थी।

——वादी——

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत काठावाला से मिलकर नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 03.12.1997 खुलवा लिया, जो वादी के मुकाबले शुन्य घोषित होने योग्य है। .,

——वादी———

3. स्व0 मांग्या ने अपने जीवनकाल में अपनी माता के समक्ष एक वसीयत दिनांक 10.01.1986 को प्रतिवादी संख्या 1 के हक में की थी।

——प्रतिवादी संख्या 1——

4. आया वादी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4 की अपील की थी, जो खारिज हो चुकी है। इस कारण दावा चलने योग्य नहीं है।

——प्रतिवादी संख्या 1——

5. आया वादी को कोई भी वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ।

——प्रतिवादी संख्या 1——

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

तनकीयात कायम किये जाने पर साक्ष्य वादी व प्रतिवादी ली गयी तो साक्ष्य वादी पत्रावली दिनांक 01.02.2016 से 13.06.2019 तक लगातार 19 अवसर होने व दो बार अन्तिम अवसर देने पर शहादत वादी नही करवाने पर भी दिनांक 13.06.2017 को शहादत वादी बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में लगायी गयी किन्तु साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा नही करवाने पर शहादत प्रतिवादी दिनांक 23.11.2017 का बन्द की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गयी तो बहस दावा पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी रामनारायण भागीरथ, सोन्या, महादवे छोटा व ग्यारसा पुत्रान जगन्नाथ जाट निवासी जयलालपुरा उर्फ थूणी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है, उक्त पूर्व खातेदारी द्वारा बेचान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के भाइ मांग्या को दिनांक 26.12.2017 को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दी। तब से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 उक्त भूमि पर निंतर काबिज काश्त रहे है, मांग्या की मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर काबिज थे। मांग्या ने 30.12. 1993 को प्रतिवादी संख्या 2 के हक में अन्तिम वसीयत वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में की गयी। तब से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 सम्पूर्ण 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ने विधि विरूद्ध तरिके से नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 03.12. 1997 को नामान्तकरण करवा लिया जिसकी अपील वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कार्यालय चाकसू के यहॉ की जो खारिज कर दी गयी जिसकी अपील निगरानी राजस्व मंडल में विचाराधीन है वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार द्वारा प्रथम व अन्तिम वसीयत है

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उक्त वसीयत के आधार पर खातेदार काश्तकार होने योग्य है, अतः दावा वादी डिक्री फरमाया जावे। वकील वादी की बहस का खंडन करते हुये वकील प्रतिवादी ने जवाब दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजी में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पूर्णतया कानूनी तरिके से लगायी है जो जरिये नामान्तकरण लगाई है जिसकी सम्पूर्ण जानकारी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को भली भांति है। स्व0 मांग्या ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से पर काबिज रहे जो अपने जीवनकाल में अपने प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ रहे, वादग्रस्त भूमि पर भी मांग्या के जीवनकाल में ही मांग्या की सहमति से मांग्या के साथ काबिज काश्त था। मांग्या ने अपने जीवनकाल में गवाहो के समक्ष एक वसीयत 10.01.1986 को अपनी माता गोविन्दी देवी के समक्ष अपने सगे भाई प्रतिवादी संख्या 1 के हक में कर दी थी इस प्रकार मांग्या की मृत्यु उपरांत उनके हिस्से की भूमि पर मिन प्रतिवादी संख्या 1 तन्हा रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी द्वारा जो वसीयत 30.12.93 की बताई गयी है, वह पूर्णतया मिथ्या व फर्जी है ना तो मांग्या वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के साथ रहे ना ही कभी उनकी इच्छा इनके नाम से वसीयत करने की थी 30.12.1993 की कथित फर्जी वसीयत का स्टाम्प, स्टाम्प वेंडर के हाथ से जारी नही हुआ जो गवाह बताये है वो दोनो भी वादी के निकट के रिश्तेदार है, इस प्रकार उपरोक्त वसीयत अपने आप में फर्जी है। ग्राम पंचायत काठावालामें नामान्तकरण मजमे आम में नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 03.12.1997 करे पूर्णतया विधि अनुसार खोला है जो समपूर्ण जानकारी कर खोलागया है। उक्त नामान्तकरण संख्या 4 के खिलाफ वादी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के अपील की वो खारिज हो चुकी है, जो निर्णय आज दिनांक तक भी परिवर्तित नही हुआ है,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी चाकसू की वादी की अपील खारिज की जिसके खिलाफ वादी न्यायालय अतिरिक्त संभागीय में की गयी जहां से भी वादी की अपील खारिज कर दी गयी, इस प्रकार उक्त निर्णय अन्तिम है प्रतिवादी नम्बर 1 के हक में खुला नामान्तकरण आज तक विधि मान्य है। प्रतिवादी संख्या 1 का दावा पुनः रेस्टोर हो चुका है ऐसे में वादी का जो भी काउन्टर वो भी रेस्टोर हो चुका है ऐसे में दावा पहिले से ही समान न्यायालय में चल रहा है तो दूसरा दावा कानूनन धारा 10 सीपीपसी के तहत चलने योग्य नही है। इस प्रकार जब एक बार नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सक्षम अधिकारी द्वारा खौला जा चुका है तो वह जब तक निरस्त नही होता तब तक वादी किसी भी प्रकार घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी द्वारा बताई गयी वसीयत फर्जी है ऐसे में फर्जी वसीयत के आधार पर वादी किसी प्रकार से अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। अतः दावा वादी खारिज फरमाया जावे। वादी ने दावे के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 26.12.1967 मिलान क्षेत्रफल 2051–70, जमाबंदी संख्या 2065–68 वसीयत दिनांक 30.12.1993 दावे की नकल 106/06 धनपत बनाम गोपाल पुलिस जांच रिपोर्ट, नामान्तकरण संख्या 4, स्टाम्प विक्रय पंजिका की फोटो प्रति दिनांक 09.12.1993 की मांगीलाल का मृत्यू प्रमाण पत्र बतौर दस्तावेज पेश किया गया। दावा जवाब दावा व प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

1. आया स्व0 मांग्या ने दिनांक 30.12.1993 को वादी व प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम वसीयत की थी :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है जो न तो वादी द्वारा उक्त वसीयत को साबित कराने हेतु गवाह पेश किया न स्वयं ने गवाही दी वादी द्वारा जो वसीयत दिनांक 30.12.1993 की बताई जा रही है, उक्त कथित

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वसीयत का स्टाम्प स्टाम्प वेडर के द्वारा जारी नही हुआ जो वसीयत में गवाह बताये गये है वो दोनो भी वादी के निकट के रिश्तेदार है तथा उक्त वसीयत अनुसंधान के दायरे में जिसके उक्त वसीयत को सही नही माना जा सकता है न ही वादी ने उक्त वसीयत को सिद्ध करने हेतु कोई गवाह एवं सबूत पेश किये गये ऐसे स्थिति में तनकी नम्बर 1 प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत काठावाला से मिलकर नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 03.12.1997 खुलवा लिया, जो वादी के मुकाबले शुन्य घोषित होने योग्य है :– इस तनकी का भार भी वादी को साबित करने का है जो ग्राम पंचायत काठावाला ने नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 03.12.1997 का पूर्णतया विधि अनुसार मजमे आम में खोला है जो सम्पूर्ण जानकारी कर खोला गया है जिसकी जानकारी वादी व प्रतिवादी नम्बर 2 को भली प्रकार से रही ग्प्रम पंचायत ने उक्त नामान्तकरण संख्या 4 गलत खोला इस बाबत वादी ने न तो गवाह कराये न ही किसी प्रकार अन्य सबूत दस्तावेज पेश किये जबकि उक्त नामान्तकरण की अपील वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी चाकसू एवं संभागीय आयुक्त जयपुर के यहॉ की गयी जहां पर वादी की अपीले दोनो जगह खारिज की जा चुकी है एवं उक्त नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक तक बहाल है व विधि मान्य है। इस प्रकार उक्त तनकी नंबर 2 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तय की जाती है।

4. स्व0 मांग्या ने अपने जीवनकाल में अपनी माता के समक्ष एक वसीयत दिनांक 10.01.1986 को प्रतिवादी संख्या 1 के हक में की थी। :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर है जो स्व0 मांग्या ने अपने जीवनकाल में ही गवाहो के समक्ष एक

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वसीयत दिनांक 10.01.1986 को अपनी माता गोविन्दी देवी के समक्ष अपने सगे भाई प्रतिवादी संख्या 1 के हक मे कर दी थी उक्त वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत काठावाला ने नामान्तकरण संख्या दिनांक 03.12.1997 पूर्णतया विधि अनुसार व मजमे आम में खोला है जिसकी सम्पूर्ण जानकारी कर खौला गया है। जिसकी जानकारी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को रही है उक्त नामान्तकरण संख्या 4 के खिलाफ वादी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के यहॉ अपील की थी जो अपील खारिज हो चुकी, जिसके खिलाफ वादी न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त में गया था जहां से भी वादी की अपील खारिज हो चुकी है ऐसे में उक्त वसीयत के आधार पर खौला गया नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 03.12.1997 का प्रतिवादी संख्या 1 के हक में खुला हुआ आज तक विधि मान्य है। तनकी नम्बर 3 प्रतिवादी संख्या 1 के हक में भली प्रकार साबित होने से तनकी नम्बर 3 प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में तय की जाती है।

4. आया वादी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4 की अपील की थी, जो खारिज हो चुकी है। इस कारण दावा चलने योग्य नहीं है :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 1 पर है जो उपखण्ड अधिकारी चाकसू एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के द्वारा वादी की अपील नामान्तकरण संख्या 4 के बारे में की गयी थी जो उक्त दोनो अपीले वादी की खारिज हो चुकी है व प्रतिवादी संख्या 1 के हम में खुला नामान्तकरण आज तक विधि मान्य है, जब एक बार नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सक्षम अधिकारी द्वारा खोला जा चुका है तो वह जब तक निरस्त नही होता तब कि वादी किसी भी प्रकार से घोषण प्राप्त करने का अधिकारी नही है । इसके अलावा वादी द्वारा बताई गयी वसीयत अनुसंधान के अधीन

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

होने से दावा वादी उक्त वसीयत 30.12.1993 के आधार पर जब तक विधि मान्य नही हो जावे तब तक दावा चलने योग्य नही है, इस प्रकार तनकी नम्बर 4 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तय की जाती हैं

5. आया वादी को कोई भी वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ :– इस तनकी नम्बर 5 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर है जो तनकी नम्बर 1 से 4 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तय किये जाने से वादी को किसी प्रकार का वादकारण उत्पन्न नही हुआ। अतः तनकी नं0 5 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तय की जाती है।

इस प्रकार दावा जवाब दावा व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से एवं तनकी नम्बर 1 से 5 के विवेचन अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तय किये जाने से दावा वादी खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.01.17 17:17:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: